फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

धर्मवीर बनाम **कृष्ण**

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. नम्बर 288 सन–2024

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम का तामील में जारी हुए
21.11.2024	वकील सायल ने यह प्रार्थना –पत्र सायल की ओर से पेश किया प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील सायलान को स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय सुना गया प्रस्तुत रिकार्ड /दस्तावेजात /शपथ पर का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया प्रकरण, सूविधा का सन्तुलन , अपूर्णीय क्षति का बिन्दु सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः प्रस्तुंत दस्तावेज एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 18/14 की कुल 6.5780हैक में से 925/6578 हिस्सा , एवं रोही मौजा चक 8 जेएसएन के खाता संख्या 67/57 की कुल 4.5540हैक में से 9/64 हिस्सा भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाई रखी जावे उक्त स्थगन आदेश ,रोडा एक्ट के प्रकरण व वाप्कोस कार्यवाही, रास्ता, खाला की भूमि पर यह स्थगन लागू नही होगा वकील सायल गैरसायल की तलबी हेतु रजिस्टर सम्मन पेश करे प्रार्थी /सायल आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करें इस सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को कोई उज्र एतराज हो तो असालतन या वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर वजह जाहिर करे । अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस रजिस्टर्ड /सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 16.01.2025 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर	
10/1/25	वकील सायल/सायल व निवेदन पर पत्रावली पेश हुई निवेदन [illegible] पक्षकारान का आपस में राजीनामा [illegible] प्रा. पत्र नही चलाना [illegible] सायल स्वयं के द्वारा अपना प्रार्थना पत्र चलाने के कारण खारिज किया जाता है। दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी नोहर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:30:13 IST
Reason: SelfAttested